



यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)

(CIN:U 12000 JH 1967 GOI 000806)

डाकघर : जादुगोड़ा माईन्स, जिला-पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड)-832102

सं०: यूसीआईएल/उपमहाप्रबंधक(कार्मिक एवं औस0)/50/2026

दिनांक: 23.03.2026

सूचना

विषय: यूसीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के खंड 4.1.1 के अंतर्गत यूसीआईएल द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले महलुडीह परियोजना में विस्थापित मौजा धातकीडीह, भूमि अवार्ड संख्या D-09 के भूमि-विस्थापित सदस्यों को एक रोजगार प्रदान करने के संबंध में।

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के W.P. (C) संख्या 2280 वर्ष 2023 के निर्देशानुसार, यूसीआईएल की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R & R Policy) नीति के अंतर्गत, महलुडीह परियोजना में विस्थापित मौजा - धातकीडीह, भूमि अवार्ड संख्या- D-09 के भू-विस्थापित परिवार के सदस्य एक नियोजन प्राप्त करने के हकदार है तथा यह स्वीकार किया गया है कि कई वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी भू-विस्थापित परिवार के बीच आपसी मतभेद होने के कारण कोई सहमति नहीं बन पाई है। झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची ने यूसीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के खण्ड 4.1.1 के अनुसार एक रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया है। यूसीआईएल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के खण्ड 4.1.1 के अनुसार, एक वर्ष की अवधि के बाद भी सर्वसम्मति से उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में, सभी उम्मीदवारों/नामांकित व्यक्तियों को कंपनी द्वारा निर्धारित ट्रेड टेस्ट/शारीरिक परीक्षण के लिए विचार किया जाएगा तथा ट्रेड टेस्ट/शारीरिक परीक्षण के आधार पर एक उम्मीदवार को रोजगार के लिए चयनित किया जाएगा।

अतः भूमि अवार्ड संख्या D-09 के सभी अवार्डिस (अंशधारकों) से अनुरोध है कि वे ऐसे उम्मीदवारों/नामांकित व्यक्तियों का नाम सुनिश्चित करें जो ट्रेड टेस्ट/शारीरिक परीक्षण में भाग लेना चाहते हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवारों/नामांकित व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपनी नामांकन प्रपत्र इस सूचना प्रकाशन की तिथि से **30 (तीस)** दिनों के भीतर उप महाप्रबंधक(कार्मिक एवं औस0), जादुगोड़ा, पो0+थाना-जादुगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम (झारखण्ड)-832102 के कार्यालय में डाक द्वारा जमा करें। सभी इच्छुक उम्मीदवारों/नामांकित व्यक्तियों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी नामांकन प्रपत्र के साथ एक शपथ पत्र अवश्य जमा करेंगे कि उक्त ट्रेड टेस्ट/शारीरिक परीक्षण में चयनित होने पर, नियोजन के पूर्व यूसीआईएल को अधिग्रहित भूमि का कब्जा सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया ध्यान दे कि नामांकन प्रपत्र यूसीआईएल की आधिकारिक वेबसाइट www.ucil.gov.in पर उपलब्ध है। हाथ से जमा किए गए आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

क्रम संख्या	एवार्ड का नाम जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा प्रमाणित पंचाट के अनुसार	एवार्ड संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (एकड़ में)	यूसिल के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत निर्धारित नियोजन	अभियुक्ति
01.	श्री नित्यानन्द मंडल, सतादल मंडल, मधुसूदन मंडल, निशीकान्त मंडल, गंगाधर मंडल, राधानाथ मंडल, जाटव मंडल, घनश्याम मंडल एवं खेलाराम मंडल।	D-09	127	0.20	01	यूसिल पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के तहत एक ही नियोजन मान्य होगा।

कृते यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड



यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का संस्थान)

(CIN:U 12000 JH 1967 GOI 000806)

डाकघर : जादुगोडा माईन्स, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड-832102

सं० :यूसिल/टी.एम.डी./महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ.सं.)/50/2026

दिनांक 18.03.2026

विषय :- यूसिल तुरामडीह माईन्स के केजुअल कर्मचारी के यूसिल में स्थायीकरण के संबंध में।

यूसिल प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित भूमि के एवज में विस्थापित हुए परिवार के सदस्यों को यूसिल के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन (R & R Policy) नीति एवं अनुकंपा (Compassion) नीति के तहत अकुशल वर्ग में रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति किया गया था। यूसिल प्रबंधन को इनकी नियुक्ति में विज्ञापन के अनुरूप सही पाया गया था। तथापि उक्त अकुशल कर्मचारियों के नियमित नियुक्ति के मनोनयन के संबंध में अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि यदि मनोनित व्यक्ति के यूसिल में नियोजनार्थ में अंशधारकों को किसी प्रकार की असहमति / आपत्ति है तो कृपया इसकी पूरी जानकारी इस सूचना प्रकाशन तिथि के 30 (तीस) दिनों के अंदर लिखित रूप से उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ.सं.) जादुगोड़ा, माईन्स, पो + थाना जादुगोड़ा को देने की कष्ट करें। साथ ही अणु डाक (e-mail) के द्वारा भी rakeshkumar@uraniumcorp.in एवं sranjan@uraniumcorp.in पर अपना असहमति / आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उक्त समय सीमा तक अंशधारकों (एवार्डीज) से कोई आपत्ति नहीं मिलने पर मनोनित व्यक्ति के नियोजन हेतु बिना किसी और सूचना के नियमित कर्मचारी के रूप में नियुक्ति की जायेगी। उक्त निर्धारित समय-सीमा के पश्चात मनोनयन के विरुद्ध प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जायेगा। मनोनीत व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध कराया गया कुर्सीनामा यूसिल के [website \(www.uraniumcorp.in\)](http://www.uraniumcorp.in) पर उपलब्ध है।

क्रम संख्या	एवार्डीज का नाम जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा प्रमाणित पंचाट प्रति के आधार पर	अकुशल कर्मचारी का नाम	सर्टिफिकेट संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (एकड़ में)	नियोजन का आधार
01	श्री पिट्टु हो पिता सोखा हो	श्री लोदरो चाकिया कर्मचारी सं.- C/2742	66/84/T	165,158,143, 228,240,203, 204,208, 143/1212, 149,157	3.24	पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन के तहत
01	श्री मंगल सिंह पिता स्व. सत्य नरायण सिंह (मृत केश)	श्रीमति रेखा सिंह कर्मचारी सं.- C/40109	KEW/05/AW-240/C-116	272	मकान	अनुकंपा के तहत

कृते यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड